संख्या-405/2018/75/22-2-2018-17(339)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 08 मई, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मूलचन्द्र बाथम पुत्र श्री जीवनलाल, निवासी जनपद-कन्नौज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-929/प्रोबे0-5-दयायाचिका/900 दिनांक 08-01-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मूलचन्द्र बाथम पुत्र श्री जीवनलाल, निवासी-ग्राम-जबरपुर, थाना-इन्दरगढ़, जनपद-कन्नौज का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर घटना दिनांक 23.01.1995 को 06 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर गड़ासा, फरसा, लाठी एवं भाला से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-131, 133/1995 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 एवं 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौज के आदेश दिनांक 20.08.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी का 01 अन्य सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा जमानत पर कारागार से बाहर है तथा 02 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है, 03 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं। बन्दी द्वारा दिनांक 11.10.2016 तक 07 वर्ष 01 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष 06 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी मूलचन्द्र बाथम (बन्दी संख्या-24010) पुत्र श्री जीवनलाल, निवासी जनपद-कन्नौज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-405/2018/75(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in